SL-01759-1011

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सेवामें,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र , प्रीति बिहार ,
नई दिल्ली ।

पत्रांक: /आशु0/ एन0ओ0सी0/3337-44 /2011–12 दिनांक: 18-8- 2011

विषय:– उमा शंकर सिंह विद्यापीठ कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन ,नई दिल्ली/सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 06–3–2010 में लिये गये निर्णय के अनुसार उमा शंकर सिंह विद्यापीठ कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है :—

1– विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय –समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन ,नई दिल्ली) से प्राप्त होती है ,जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें ।

6– कर्मचारियों के सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

7– राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है , अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ0सं0 / /2011–12 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2–मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

3–जिलाधिकारी गोरखपुर ।

4–शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ ।

5–जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ।

6–प्रबन्धक/प्रधानाचार्य उमा शंकर सिंह विद्यापीठ कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर ।

7– गार्ड फाईल ।

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

XXVII-34
(08-09)
76
RB-1391
10-3-10

स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

मण्डलायुक्त,
गोरखपुर।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–7,
लखनऊ।

संख्याः RB·517–23/सत्ताईस–43(2008–09) दिनांक 10 मार्च, 2010

विषयः **प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06.03.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर – 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 06.03.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, गोला, जनपद गोरखपुर से विद्यालय की जांच करायी गयी। जांच के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

10/3/10

(पी०के०महान्ति)
मण्डलायुक्त।

संख्या RL-517-23/सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. सचिव, कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47–48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
7. प्रबन्धक, श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर।

10/3/10

(पी०के० महान्ति)

मण्डलायुक्त।

श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग–7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916 / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 06.03.2010 का कार्यवृत्त –

शासनादेश संख्याः 1916 / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–5 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति की उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 06.03.2010 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये –

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर — अध्यक्ष।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर। — सदस्य।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर — सदस्य सचिव।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर। — सदस्य।

गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर में स्थित शिक्षण संस्था **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली / सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव जांचोपरान्त मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्याः 2762 / 15–13–91–41461 / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उपर्युक्त विद्यालय द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 10.02.2009 को आवेदन किया गया है, जिस पर मण्डलीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 13.01.2004 को उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए समस्त अभिलेखों के साथ प्रस्ताव दिनांक 10.02.2009 प्रस्तुत किया गया है।

मण्डलीय समिति को उपर्युक्त विद्यालय के पत्रजात / अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त मण्डलायुक्त कार्यालय, गोरखपुर के पत्र संख्या 123 / सत्ताईस–43(2008–09) दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर से निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच उप जिलाधिकारी, गोला, जनपद गोरखपुर से कराकर जांच आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये –

1. विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं शहरी क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के नाम तथा इस विद्यालय के स्थापित होने से उन पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण।

2. सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण।
3. शिक्षक / कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी अर्हता।
4. वेतन तथा सेवा शर्तें।
5. भूमि एवं भवन की स्थिति (भू–चित्र एवं नजरी नक्शा सहित)
6. प्रयोगशाला / पुस्तकाल तथा अन्य शिक्षण सामग्री।
7. क्रीड़ास्थल की उपलब्धता एवं उसका क्षेत्रफल।

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, गोला से जांच करायी है। उप जिलाधिकारी गोला की आख्या दिनांक 21.11.2009 एवं 30.12.2009 जो जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र सं० 1551 / आशुलि(प्र०)–2009 दिनांक 08 जनवरी, 2009 में अंकित किया है कि **–उमाशंकर सिंह विद्यापीठ कोड़ारी, बड़हलगंज, ग्राम कोड़ारी, मु० तप्प हवेली, परगना चिल्लुपार, तहसील गोला के गाटा सं० 170 / –413हे०, 178 / –028हे०व 179 / –040 हे० पर बना है। तीनों नम्बरान एक ही जगह हैं।यह नम्बर राजस्व अभिलेखों में ज्योति नरायन जरिये मंत्री शंकर ग्रामोद्योग एवं सेवा संस्थान कोड़ारी के नाम अंकित है। इस विद्यालय से 5 किमी की दूरी पर ग्राम तीहा मुहम्मदपुर में हिन्दी माध्यम का भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तीहा मुहम्मदपुर स्थित है। इस विद्यालय से क्षेत्र के अन्य विद्यालयों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। शंकर ग्रामोद्योग एवं सेवा संस्थान ग्राम कोड़ारी पो० बड़हलगंज, जिला गोरखपुर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं०598 / 1992–1993 दिनांक 22.07.1992 को पंजीकृत है, जो 22.07.2007 से 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत है। इसी संस्था द्वारा श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में कुल 18 शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारी है, जिनकी योग्यता एवं वेतन के कागजात संलग्न हैं। विद्यालय में कुल 15 कमरे हैं, जिसका भूचित्र एवं नजरी नक्शा संलग्न है। विद्यालय में प्रयोगशाला व पुस्तकालय उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं खेल कूद से सम्बन्धित सामान उपलब्ध है। विद्यालय के सामने खेलकूद का मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.280 हे० है। इस विद्यालय के आस पास कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय नहीं है।**

मण्डलीय समिति ने **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज**, गोरखपुर के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उप जिलाधिकारी, गोला की जांच आख्या का अध्ययन एवं परीक्षण किया। शासनादेश संख्याः 2762 / 15–13–91–41461 / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय के नाम से मानक के अनुरूप भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.4810 हे० है। भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। इस विद्यालय के आस पास कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित नहीं है, अतः इस विद्यालय की 2 किमी की परिधि में संचालित होने वाले अन्य विद्यालयों

पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। तद्नुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा सभी सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर	संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।	जिलाधिकारी, गोरखपुर।

6/3/10

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

O/C

कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

XXVII 4308-01 / 71 RA-1306 10-3-10

संख्या RA-477-04/सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांक 10 मार्च 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक / अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3. सचिव, कौसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47–48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
4. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
8. प्रबन्धक, श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर।

6/3/10

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

O/C

श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग–7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 06.03.2010 का कार्यवृत्त –

शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–5 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति की उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 06.03.2010 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये –

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर	अध्यक्ष।
2 जिलाधिकारी, गोरखपुर।	सदस्य।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर	सदस्य सचिव।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।	सदस्य।

गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर में स्थित शिक्षण संस्था **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव जांचोपरान्त मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उपर्युक्त विद्यालय द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 10.02.2009 को आवेदन किया गया है, जिस पर मण्डलीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 13.01.2004 को उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए समस्त अभिलेखों के साथ प्रस्ताव दिनांक 10.02.2009 प्रस्तुत किया गया है।

मण्डलीय समिति को उपर्युक्त विद्यालय के पत्रजात/अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त मण्डलायुक्त कार्यालय, गोरखपुर के पत्र संख्या 123/सत्ताईस–43(2008–09) दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर से निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच उप जिलाधिकारी, गोला, जनपद गोरखपुर से कराकर जांच आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये –

1. विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं शहरी क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के नाम तथा इस विद्यालय के स्थापित होने से उन पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण।

2. सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण।
3. शिक्षक / कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी अर्हता।
4. वेतन तथा सेवा शर्ते।
5. भूमि एवं भवन की स्थिति (भू–चित्र एवं नजरी नक्शा सहित)
6. प्रयोगशाला / पुस्तकाल तथा अन्य शिक्षण सामग्री।
7. क्रीड़ास्थल की उपलब्धता एवं उसका क्षेत्रफल।

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, गोला से जांच करायी है। उप जिलाधिकारी गोला की आख्या दिनांक 21.11.2009 एवं 30.12.2009 जो जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र सं० 1551 / आशुलि(प्र०)–2009 दिनांक 08 जनवरी, 2009 में अंकित किया है कि **–उमाशंकर सिंह विद्यापीठ कोड़ारी, बड़हलगंज, ग्राम कोड़ारी, मु० तप्प हवेली, परगना चिल्लुपार, तहसील गोला के गाटा सं० 170 / –413हे०, 178 / –028हे०व 179 / –040 हे० पर बना है। तीनों नम्बरान एक ही जगह हैं।यह नम्बर राजस्व अभिलेखों में ज्योति नरायन जरिये मंत्री शंकर ग्रामोद्योग एवं सेवा संस्थान कोड़ारी के नाम अंकित है। इस विद्यालय से 5 किमी की दूरी पर ग्राम तीहा मुहम्मदपुर में हिन्दी माध्यम का भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तीहा मुहम्मदपुर स्थित है। इस विद्यालय से क्षेत्र के अन्य विद्यालयों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। शंकर ग्रामोद्योग एवं सेवा संस्थान ग्राम कोड़ारी पो० बड़हलगंज, जिला गोरखपुर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं०598 / 1992–1993 दिनांक 22.07.1992 को पंजीकृत है, जो 22.07.2007 से 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत है। इसी संस्था द्वारा श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में कुल 18 शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारी है, जिनकी योग्यता एवं वेतन के कागजात संलग्न हैं। विद्यालय में कुल 15 कमरे हैं, जिसका भूचित्र एवं नजरी नक्शा संलग्न है। विद्यालय में प्रयोगशाला व पुस्तकालय उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं खेल कूद से सम्बन्धित सामान उपलब्ध है। विद्यालय के सामने खेलकूद का मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.280 हे० है। इस विद्यालय के आस पास कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय नहीं है।**

मण्डलीय समिति ने **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उप जिलाधिकारी, गोला की जांच आख्या का अध्ययन एवं परीक्षण किया। शासनादेश संख्याः 2762 / 15–13–91–41461 / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय के नाम से मानक के अनुरूप भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.4810 हे० है। भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। इस विद्यालय के आस पास कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित नहीं है, अतः इस विद्यालय की 2 किमी की परिधि में संचालित होने वाले अन्य विद्यालयों

पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति **श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर** को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। तद्नुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा सभी सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।	संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।	जिलाधिकारी, गोरखपुर।

6/3/10

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

O/C

कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

XXVII 43 (08-09) 71

संख्या RG-477-04/सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांक 10 मार्च 2010

RG-1306 10-3-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3. सचिव, कौसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47–48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
4. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
8. प्रबन्धक, श्री उमाशंकर सिंह विद्यापीठ, कोड़ारी, बड़हलगंज, गोरखपुर।

6/3/10

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

O/C